" supplied to Members of Parliament. Both the publications are priced publications. However, to enable the interested MPs to go through these publications, 10 copies of each will in future be placed in the libraries of Lok Sabha and Rajya Sabha.

(e) In order to enable the Members of Parliament to acquaint themselves with the changing dimensions of our trade, Training Programmes/Workshops and Conference can be organised by the Institute, if they are sponsored and supported by the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

गुजरात में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग श्रेणी के व्यक्ति

*547. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात में उन विकलांग व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके नाम संबंधित रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ग) क्या गुजरात में रोजगार कार्यालयों द्वारा विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये निर्धारित आरक्षण कोटा भर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्री (श्री यी० ए० संगमा): (क) से (घ) 31.12.1993 को नवीनतम उपलब्ध स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में विकलांग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के वर्गों से संबंधित रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या, यह आवश्यक नहीं कि उनमें सभी बेरोजगार हों, निम्नलिखित थी:—

श्रेणी	चालू रजिस्टर पर संख्या (हजार में)
विकलांग	13.6
अनुसूचित जाति	172.6
अनुसूचित जनजाति	3.6

गुजरात में वर्ष 1991, 1992 एवं 1993 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नियोजित किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित थी:—

श्रेणी	1991	1992	1993
	के दौरान नियोजित किये गये व्यक्तियों की संख्या (हजार में)		
विकलांग	0.4	0.8	0.7
अनुसूचित जाति	1.9	2.3	2.1
अनुसूचित जनजाति	2.5	4.3	4.4

गुजरात में रोजगार कार्यालय, नियोक्ता की मांग के अनुरूप, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विकलांगों के आरक्षित कोटे की सूची भेज रहे हैं।

Representations Regarding Functioning of ITPO

*548. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have received any representations regarding functioning of India Trade Promotion Organisation (ITPO) in 1994-95;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action has been taken on such representation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) While Government have not received any specific representations regarding the overall functioning of ITPO during 1994-95, some representations have been received from certain Associations/ Unions, individual employees of ITPO and members of public in regard to service matters, exhibitions and fairs, etc.

(c) The representations received from time to time are examined and action is taken on merits, keeping in veiw the broad operational autonomy of I.T.P.O. which is a registered company under Sec. 25 of the Companies Act.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश को चीनी की आपूर्ति

*549. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को अक्तूबर, 1994 से दिसंबर, 1994 के दौरान आयात की हुई चीनी की आपूर्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी चीनी सप्लाई की जानी थी और वास्तव में कितनी की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त चीनी में से काफी चीनी घटिया किस्म की होने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने भारतीय खाद्य निगम को इस खराब चीनी के बदले में अच्छी चीनी भेजने का लिखित रूप में अनुरोध किया था; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर "हां" हो, तो भारतीय खाद्य निगम ने इस घटिया चीनी के बदले में अच्छी चीनी देने के संबंध में क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) ने अक्तूबर-दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को आयातित चीनी की आपूर्ति की है।

(ख) अक्तूबर, 1994 से दिसम्बर, 1994 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा उक्त निगम को आयातित चीनी की कुल आबंटित तथा वास्तविक रूप में आपूर्ति की गई मात्रा निम्न प्रकार है:—

(1) आयातित चीनी की कुल आबंटित मात्रा 7423.4 मी० टन

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित चीनी की आपूर्ति की गई कुल मात्रा 7142.4 मी० टन

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने 53 क्विंटल आयातित चीनी को उसकी खराब गुणवत्ता के कारण बदलने का अनुरोध किया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस अनुरोध को नहीं माना गया क्योंकि चीनी की डिलीवरी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होकर की गई थी। चीनी के गोदाम से बाहर जाने के पश्चात भारतीय खाद्य निगम को उसकी गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

सरकारी एजेन्सियों द्वारा गेहूं का न उठाया जाना

*550. **श्री रामजी लाल:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न सरकार एजेंसियां गेहूं खरीदने के बाद तुरन्त गेहूं को मंडी से नहीं उठाती तथा किसानों को भी इसका तुरंत भुगतान नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनाज न उठाए जाने के कारण खराब हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) से (ग) राज्यों में कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम के अनुसार खरीदार को निर्धारित समय के अन्दर मंडी परिसर से अनाज को हटाना होता है और ऐसा न करने पर दण्ड का प्रावधान है। जब कभी प्राप्ति प्रक्रिया से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इस पर तत्काल ही कार्रवाई की जाती है। पंजाब में एजेंसियों ने गेहूं पहुंच का 99% और हरियाणा ने चालू प्राप्ति मौसम में गेहूं पहुंच का 98% खरीद लिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।